

**फर्द अहकाम
(नियम-26)**

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)
श्री राकेश भट्ट पिता श्री भगवती लाल भट्ट निवासी सदर बाजार लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी श्री सांवलियाजी मन्दिर मण्डल, मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 59 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
817/2019	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री राकेश भट्ट पिता श्री भगवती लाल भट्ट निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी श्री सांवलियाजी मन्दिर मण्डल मण्डफिया, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के यहां दिनांक 10.05.2019 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी श्री सांवलियाजी मन्दिर मण्डल मण्डफिया, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी श्री सांवलियाजी मन्दिर मण्डल मण्डफिया, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नही आते हैं।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी श्री सांवलियाजी मन्दिर मण्डल मण्डफिया, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी अध्यक्ष, श्री सांवलियाजी मन्दिर मण्डल, मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p> <p align="center">(2) (शिवांगी स्वर्णकार) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>	<p align="right">भाकी १०/०५/१९</p>

